न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2023/71)

प्रकरण संख्याः–178/2022
तारीख दायरः– 27/06/2023
निर्णय दिनांकः–14/10/2025

उनवान

1. नारायणलाल पुत्र गंगाराम जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. कमला पुत्री गंगाराम जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. बदामी पत्नी गंगाराम जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
4. भगवान देवनारायण ना0बा0 मूर्ति जरिये पुजारी शंकरलाल पिता नाथु जाति तेली निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
5. शेषमल पुत्र लक्ष्मण जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
6. संतोषी पत्नी किशनलाल जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
7. सायरी पत्नी छगनलाल जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

प्रार्थीगण।

बनाम

1. भंवरलाल पिता नाथु जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. मोहनलाल पिता तेजा जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. चुन्नीलाल पिता तुलसा जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
4. बस्तीमल पिता तेजा जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
5. हगामीलाल पिता कस्तुर जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
6. पन्नालाल पिता कस्तुर जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोपरी पटवार सर्कल दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 186 खसरा संख्या 339 कुल किता 01 कुल रकबा 2.8400 हैक्टेयर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जेशुदा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 एवं 05 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 06 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 06 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजियात गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अनुसार पत्थरगढ़ी की जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सोपरी पटवार सर्कल दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 186 खसरा संख्या 339 कुल किता 01 कुल रकबा 2.8400 भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द